FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मुथूट होम फिन (इण्डिया) लि. , जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी		1. श्री संदीप सोनी पुत्र प्रकाश चंद सोनी, निवासी सिपाहियो का बास, बलुन्दा, जैतारण जिला पाली, सोनू हीरालाल प्रकाश चंद ज्वैलर्स, सदर बाजार, बलुन्दा, जिला पाली एवं पट्टा नं. 36, ब्लॉक न. 18, सिपाहियों का बास, बलुन्दा, जैतारण जिला पाली (राज.) 2. श्री प्रकाशचंद सोनी पुत्र हीरालाल सोनी निवासी सिपाहियो का बास, बलुन्दा, जैतारण जिला पाली, सोनू हीरालाल प्रकाश चंद ज्वैलर्स, सदर बाजार, बलुन्दा, जिला पाली एवं पट्टा नं. 36, ब्लॉक न. 18, सिपाहियों का बास, बलुन्दा, जैतारण जिला पाली (राज.)

किस्म मुकदमा :: विविध 11 /2019
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2019/00 221

धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/3/19	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी बैंक द्वारा ऋण संदीप सोनी व प्रकाशचंद सोनी द्वारा आवेदन करने पर दिया गया है तथा समस्त ऋण दस्तावेजों पर ओमप्रकाश सोनी के हस्ताक्षर है। जिस सम्पती को रहन रख कर ऋण लिया गया है, उसका पट्टा ओमप्रकाश सोनी पुत्र हीरालाल सोनी के नाम जारी है। ओमप्रकाश सोनी एवं प्रकाशचंद सोनी दोनों नामों में विरोधाभास है। प्रार्थी बैंक द्वारा इस संबध में ऋणी प्रकाशचंद सोनी पुत्र हीरालाल सोनी द्वारा निस्पादित एक शपथ पत्र की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी एक शपथ पत्र निस्पादित कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि प्रकाशचंद सोनी एवं ओमप्रकाश सोनी दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर के एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दोनों भिन्न नामों को एक ही व्यक्ति का नाम नहीं माना जा सकता है। इस तरह के विरोधाभास के निदान हेतु कानून सम्मत विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस शपथ पत्र को नाम में भिन्नता होते हुए भी एक ही व्यक्ति होने का विधिक आधार नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 की धारा 13(2) के तहत जो नोटिस अप्रार्थी श्री संदीप सोनी व प्रकाशचंद सोनी को जरिये रजिस्ट्रड ए.डी. भेजा गया उसमें प्रकाशचंद सोनी का नाम अंकित है। इससे जाहिर होता है कि ओमप्रकाश को नामजद नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार धारा 13(2) की विधीसम्मत पालना भी नहीं किया जाना जाहिर है। उपरोक्त विधिक कमियों के मध्यनजर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। **जिला मजिस्ट्रेट, पाली**	